



क्षेत्रीय कार्यालय: बलदेव निवास कम्पाउण्ड, रीडगंज, फैजाबाद - 224001

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी/बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के अधीन नीलामी सूचना

यह कि बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 की धारा 13(12) सहपठित नियम 8 व 9 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में विभिन्न ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) / बन्धककर्ता(ओं)को मांग पत्र जारी किया गया जिसमें बकाया धनराशि के ब्याज सहित कथित सूचना के 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने की मांग की गयी थी। यह कि निम्नलिखित ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) / बन्धककर्ता(ओं) बैंक की बकाया धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे । अतः एतद्वारा ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) / बन्धककर्ता(ओं) और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू.पी. बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में नीचे वर्णित समितियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया है जिसका विवरण अधोवर्णित है ऋण कर्ता(ओं) /गारन्टी कर्ता(ओं) / बन्धककर्ता(ओं) को विशेष रूप से तथा और सर्वसाधारण को सामान्यतया सूचित किया जाता है कि इस सम्पत्ति में किसी भी प्रकार का लेन देन न करें यह सम्पत्ति बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्रभार के अध्याधीन है जिसमें नीचे लिखित राशि , ब्याज और अन्य खर्चें देय है । यह कि एतद्वारा सर्वसाधारण एवं ऋण कर्ता(ओं)/गारन्टी कर्ता(ओं) / बन्धककर्ता(ओं) को पुनः यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्तियों की निविदा / डिड्स /कोटेशन आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है। सम्पत्ति की बिक्री निम्नानुसार वर्णित तिथि के अनुसार "जो है जैसी है " तथा "जहाँ है जैसी है " के आधार पर की जायेगी । अतः निम्नलिखित शर्तों को पुरा करते हुए इच्छुक व्यक्ति अपना टेन्डर बंद निविदा के माध्यम से दिनांक 06.03.2021 तक बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय (बलदेव निवास परिसर) रीडगंज, फैजाबाद, अयोध्या में प्रस्तुत कर सकते हैं । निविदा दिनांक 08.03.2021 को दोपहर 12.00 बजे बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय (बलदेव निवास परिसर) रीडगंज,फैजाबाद, अयोध्या में खोली जायेगी ।

क्र. सं.	कर्जदार/बंधकदाता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/स्वामी का नाम	(क) मांग सूचना तिथि (ख) अधिग्रहण तिथि (ग) अधिग्रहण स्वरूप सांकेतिक/भौतिक	बकाया राशि (रु.)	आरक्षित मूल्य/ईएमडी (रु.)
----------	-------------------------	---------------------------------	--	------------------	---------------------------

शाखा: चिर्चा मोहम्मदपुर, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या)

फैजाबाद	मेसर्स राज बिल्डिंग मैट्रियल, प्रो. श्री मनोज कुमार सिंह सुपुत्र श्री उदित नारायण सिंह (कर्जदार)	1. साम्यिक बंधक जमीन व भवन प्लॉट नं. 342एम, क्षेत्रफल: 2310 वर्ग फीट, बिक्री विलेख नं. 2306/3.12.2010, परिसीमा: विलेख के अनुसार:- पूर्व: जमीन विक्रेता संतोष सिंह, पश्चिम: जमीन विक्रेता संतोष सिंह, उत्तर: काली प्रसाद का प्लॉट, दक्षिण: हाता हजारी व बिहारी आदि। 2. साम्यिक बंधक जमीन व भवन प्लॉट नं. 342एम, क्षेत्रफल: 2052 वर्ग फीट, बिक्री विलेख नं. 1870/08.09.2010, परिसीमा: विलेख के अनुसार:- पूर्व: खेत कुसुमा देवी, पश्चिम: जमीन विक्रेता संतोष सिंह, उत्तर: काली प्रसाद का प्लॉट, दक्षिण: उदित नारायण सिंह का प्लॉट। मालिक दोनों के श्री संतोष कुमार सिंह सुपुत्र श्री उदित नारायण सिंह के नाम में। 3. साम्यिक बंधक जमीन व भवन प्लॉट नं. 342एम, क्षेत्रफल: 1057.10 वर्ग फीट, बिक्री विलेख नं. 2366/10.12.2010, परिसीमा: विलेख के अनुसार:- पूर्व: प्लॉट क्रेता बलबीर सिंह, पश्चिम: प्लॉट अरविंद आदि, उत्तर: काली प्रसाद आदि का प्लॉट, दक्षिण: हाता हजारी व बिहारी आदि। 4. साम्यिक बंधक जमीन व भवन प्लॉट नं. 342एम, क्षेत्रफल: 1364 वर्ग फीट, बिक्री विलेख नं. 2330/8.12.2010, परिसीमा: विक्रय के अनुसार:- पूर्व: क्रेता के भाई की जमीन, पश्चिम: प्लॉट अरविंद आदि, उत्तर: काली प्रसाद आदि का प्लॉट, दक्षिण: प्लॉट हजारी आदि। मालिक दोनों के श्री बलबीर सिंह सुपुत्र श्री उदित नारायण सिंह के नाम में। उक्त अंकित सभी सम्पत्तियां स्थित गांव- हाजीपुर सिंहपुर, परगना-मंगलसी, तहसील- सोहावल, जनपद- अयोध्या में ।	(क) 29.06.2019 (ख) 23.01.2020 (ग) सांकेतिक कब्जा	17,28,048/- + 28.06.2019 से आगे का अपर्युक्त ब्याज व अन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाएँ)	नं. 1 9,35,550.00 93,555.00 नं. 2 8,30,700.00 83,070.00 नं. 3 4,28,400.00 42,840.00 नं. 4 5,52,600.00 55,260.00
---------	--	---	--	---	--

शाखा: ईटीसी मसोधा, जनपद-फैजाबाद (अयोध्या)

फैजाबाद	कर्जदार- श्री सजल कुमार श्रीवास्तव सुपुत्र श्री बदरीश कुमार श्रीवास्तव बंधक कर्ता- श्री सजल कुमार श्रीवास्तव सुपुत्र श्री बदरीश कुमार श्रीवास्तव	साम्यिक बंधक जमीन व भवन प्लॉट नं. 92, विक्रय विलेख 1181/15415, गांव: मौजा-कोटसराय, परगना: मंगलसी, तहसील: सोहावल, जनपद: अयोध्या। क्षेत्रफल: 416.35 वर्ग मीटर (4480 वर्ग फीट), मालिक श्री सजल कुमार श्रीवास्तव सुपुत्र श्री बदरीश कुमार श्रीवास्तव। विक्रय विलेख परिसीमाएं: पूर्व: राम केवल का खेत, पश्चिम: प्लॉट नं. 94, उत्तर: विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण: 20 फीट चौड़ा रास्ता।	(क) 18.05.2019 (ख) 24.07.2019 (ग) सांकेतिक कब्जा	8,95,417/- + 22.04.2019 से आगे का अपर्युक्त ब्याज व अन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा राशि घटाएँ)	18,14,400.00 1,81,440.00
---------	---	--	--	--	------------------------------------

शाखा:फैजाबाद मुख्य शाखा, जनपद- फैजाबाद (अयोध्या)

फैजाबाद	कर्जदार: मेसर्स नेचुरल ऐग्स फार्म साझेदार- 1. श्री मोहम्मद शाइक वल्द मोहम्मद हसन, 2. श्री अभिषेक सिंह सुपुत्र श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह, 3. श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह सुपुत्र उदय पाल सिंह बंधक कर्ता: श्रीमती सूरफिया बेगम धर्मपत्नी श्री मोहम्मद हसन सिद्दीकी	साम्यिक बंधक जमीन नं. 285 पंजीकृत विलेख सं. 3484/95, दिनांक 09.11.95 गांव- डेयोड़ी जफरुदल्ला, मौजा- नियावा, परगना- हवेली अवध, तहसील- सदर, जनपद- फैजाबाद/अयोध्या। क्षेत्रफल- 5129 वर्गफीट, मालकिन श्रीमती सूरफिया बेगम धर्मपत्नी श्री मोहम्मद हसन सिद्दीकी। विक्रय विलेख के अनुसार परिसीमा: पूर्व: गली 10 फीट चौड़ी, पश्चिम: क्रेता की जमीन, उत्तर: परती जमीन मीराज इलाही, दक्षिण: मोहम्मद सलीम की जमीन।	क) 11.07.2018 ख) 22.05.2019 ग) सांकेतिक कब्जा	32,53,166/- + 11.07.2018 से आगे का अपर्युक्त ब्याज व अन्य व्यय (मांग सूचना के बाद जमा राकम को घटाएँ)	72,40,500.00 7,24,050.00
---------	--	---	---	--	------------------------------------

सम्पर्क नं- 8874206408/8874207282

विक्रय के नियम एवं शर्तें- 1. इच्छुक निविदाकर्ताओं को अपनी निविदा बंद लिफाफे में (जिसके ऊपर बिड क्रम संख्या तथा प्रकाशन का दिनांक अंकित हो) देना है। 2. निविदा प्रस्तुतकर्ता को आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत (धरोहर राशि) अग्रिम रूप से बैंकर्स चेक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी बड़ौदा यू0पी0 बैंक के नाम देय हो निविदा पत्र के साथ सलमन करें। अधिकतम नीलामी धनराशि (जो आरक्षित मूल्य से कम न हो) वाले निविदाकर्ता को सफल घोषित करते हुए असफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी 3. सफल निविदाकर्ता को निविदा राशि का 25 प्रतिशत (धरोहर राशि को छोड़कर) उसी दिन बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा तथा खरीद राशि का शेष 65 प्रतिशत का भुगतान उनको बिक्री के लिए स्वीकृत पृष्ठ के 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक दश में जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकर्ता शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी समस्त राशियाँ जप्त कर ली जायेंगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताये अथवा पूर्व सूचना के सबसे ऊँची/समस्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार / स्थगित / निरस्त करने का अधिकार है। प्राधिकृत अधिकारी नीलामी की तिथि को आगे बढ़ा सकता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी विक्रय सम्पत्ति को संबन्धित किसी चार्ज , लियन , भार , प्रोपर्टी टैक्स, सरकारी ड्यूज, अन्य के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। प्राधिकृत अधिकारी किसी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्ष कार के कलेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा 6. सम्पत्ति उसके आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। सफल निविदाकर्ता सभी स्ट्याम्प, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि का वहन स्वयं करेगा। 7. यदि दो या दो से अधिक निविदा एक धनराशि की आती हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उनमें से किसी को चुन ले। 8. निविदा / विक्रय बैंक के द्वारा पृष्ठ होने के अधीन होगा। सम्पत्ति की नीलामी "जो है जैसी है " तथा "जहाँ है जैसी है " के आधार पर की जायेगी। 9. यदि कोई ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ताओं नीलामी की तिथि के पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है तो उसकी सम्पत्ति की नीलामी रोक दी जायेगी। इस प्रकार Security Interest Enforcement Rules, 2002 {By the Security Interest (Enforcement) Amendment Rules, 2002} धारा 13 की उपधारा (8) के अन्तर्गत ऋणी / जमानतदार/ बंधक कर्ता को नीलामी तिथि से पूर्व बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देने की दशा में बंधक प्रतिभूति आदि को उन्मोचित कराने सम्बन्धी सभी अवसर उपलब्ध हैं। 10. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्तियों का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें, सम्पत्तियों के निरीक्षण हेतु संबंधित शाखा से पहले से समय लेकर किसी भी कार्य दिवस को दोपहर 02.00 बजे से 05.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। 11. यह सेल नोटिस ऋण कर्ता(ओं)/ गारन्टी कर्ता(ओं) / बंधक कर्ता(ओं) के लिये विशेष रूप से तथा जनता /सर्वसाधारण के लिये सामान्यतया रूप से है। 12. विस्तृत जानकारी /विवरण हेतु बैंक की वेबसाइट <https://www.barodagraminbank.com/sarfaesinotice.php> पर उपलब्ध है।

सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत विक्रय हेतु 30 दिवसीय वैधानिक सूचना

उपरोक्त ऋण गृहीता / जमानतदारों / बंधक कर्ता(ओं) / विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस दी जाती कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को कर दें, इसमें असफल रहने पर बन्धक सम्पत्ति की नीलामी नियत तिथि को कर दी जायेगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई हो, की वसूली आपसे ब्याज व लागत सहित की जायेगी।